

# Govt. Shyam Shah Medical College Rewa (M.P.)

No...1424/Estt./Gazz/M.C./Adv./2019

Rewa, Dated...22/1-2019


## ADVERTISEMENT

Under the rules of the " Madhya Pradesh Super Speciality Hospital Chikitsa Shikshak Adarsh Seva Niyam-2018", Super Speciality Hospital, Rewa associated with S.S. Medical College Rewa, invites applications for various posts of teaching cadre through direct recruitment. The details are as follows :

01	Superintendent	01 Post (UR)													
		S. No	Subject	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
				UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Anaesthesia#	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
2	Anaesthesia (CVTS)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-		
3	Anaesthesia (Neurosurgery)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-		
4	Neurology	2	1	-	-	2	1	-	-	3(1F)	1	1	1		
5	Neurosurgery	2	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1		
6	Cardiology	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-		
7	Cardiology (Paediatric )	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-		
8	Cardiology (Interventional)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
9	Nephrology	2	1	-	-	2	1	-	-	3(1F)	1	1	1		
10	Urology	2	1	-	-	2	1	-	-	3(1F)	1	1	1		
11	Neonatology	2	1	-	-	2	1	-	-	3(1F)	1	1	1		
12	Cardiac Thoracic & Vascular Surgery	2	1	-	-	2	1	-	-	2	1	1	1		
13	Radiodiagnosis	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-		
Total		18	6	-	-	18	6	-	-	20	13	6	6		

The last date for submission of application forms is 15-02-2019. Date of Interview will be announced separately on the College Website. The name of the short listed candidates will be displayed on the college website. Number of posts may be increased or decreased.

For details of advertisement and application forms visit [www.ssmcrewa.com](http://www.ssmcrewa.com).

  
Dean

S.S. Medical College Rewa (M.P.)

**सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में सीधी भर्ती द्वारा**  
**प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण**

**1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु**

प्राध्यापक	–	3.00 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
सह-प्राध्यापक	–	2.50 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
सहायक प्राध्यापक	–	1.50 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन

टीप – वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।

**2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।**

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

**3. अर्हताये :-**

● **अधीक्षक –**

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की टी.ई.क्यू. (T.E.Q) विनियमावली के अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।
2. न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासकीय कार्य का अनुभव।
3. प्रशासकीय अनुभव हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक के पद पर रहते हुये विभागाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में अधीक्षक के पद पर कार्य करने का अनुभव।

- **प्राध्यापक –** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की टी.ई.क्यू. (T.E.Q) विनियामवली के अनुसार संबंधित विषय में डी.एम./एम.सी.एच.। प्रथम लेखक के रूप में सह-प्राध्यापक के कार्यकाल के दौरान संबंधित राष्ट्रीय एसोसियेशन/सोसायटी में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध/नेशनल जर्नल्स में 4 अनुसंधान के प्रकाशन एवं किसी अनुमति प्राप्त अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिये संबंधित विषय में सह-प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।

- **सह-प्राध्यापक –** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की टी.ई.क्यू. (T.E.Q.) विनियामवली के अनुसार संबंधित विषय में डी.एम./एम.सी.एच.। प्रथम लेखक के रूप में संबंधित राष्ट्रीय एसोसियेशन/सोसायटी में न्यूनतम 02 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ एवं किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में 02 वर्ष के लिये संबंधित विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।


- **सहायक प्राध्यापक –** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की टी.ई.क्यू. (T.E.Q.) विनियामवली के अनुसार संबंधित विषय में डी.एम./एम.सी.एच. एवं किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रदर्शक/रजिस्ट्रार/रेजीडेंट/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 03 वर्ष का कार्य का अनुभव

• 4. निरर्हतायें-

- 4.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 4.2 दुश्चरित्र होने पर।
- 4.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 4.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 4.5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
- 4.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 4.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 4.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 4.9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
5. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में सीनियर रेसीडेंट के पद पर कार्यरत आवेदक के साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा सकेगी। महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों पर महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकेगा।
7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
8. किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्याग पत्र देना होगा।
9. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 05 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करानी होगी।
11. साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 04 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी।
12. चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध है
13. सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों को एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्य आधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जायेगा।
  - अ. चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गयी शल्य क्रिया तथा इंटरवेंशन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।
  - ब. चिकित्सा शिक्षक द्वारा पेड ओ.पी.डी. में देखे गये मरीजों से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।
14. अवकाश, आचरण एवं अधिवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे।
15. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
16. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. आवेदन शुल्क :- अनारक्षित श्रेणी से रु. 1000/- तथा आरक्षित श्रेणी अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से रु. 750/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (CEO & DEAN SSMC REWA) श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय होगा। आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2019 के सायं 05.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

# APPLICATION FORM

Affix your  
recent  
passport  
size  
photograph

18. Advertisement no. and Sl. No. of the Post::

19. Post Applied for :

20. Name (in block letter) :

21. Category (General/SC/ST/OBC/Physically Handicapped/Ex Servicemen):

22. Date & Place of Birth (attach proof):

23. Nationality :

24. Marital Status :

25. Date of Marriage :

26. Address for Correspondence (with Phone no and Email ID):

27. Permanent Address :

28. Adhar card No. .:

29. Age on 01-01-2019 : Year \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Day \_\_\_\_\_

30. Medical Council Registration :

Degree	Name of Medical Council	Registration Number	Date of Registration
MBBS			
MD/MS			
MCH/DM			

super Speciality adv.

31. Qualifications : (Self attested photocopies certificates & marksheets)

Exam Passed	Board/ University	Year of Passing	Subject	Marks obtained/Total Marks	Percentage	Attempts (if any)

32. Experience (if any):

S.No.	Post	From	To	Total Experience
1	Professor			
2	Associate Professor			
3	Assistant Professor			
4	Tutor			

33. Publications :

S.No.	Post	Research Publications
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Assistant Professor	
4	Tutor	

34. Any other relevant information :

Date :

Place :

Name & Signature

**Declaration**

I Dr ..... hereby certify that the fore-going information is correct to the best of my knowledge and belief. I have not suppressed any material fact or factual information in the above statement. In case, I have given wrong information or suppressed any material fact or factual information, then my service are liable to be terminated without giving any notice or reason thereof.

I have not been indulged in any criminal activities and no judicial cases pending with me.

Date :

Place :

Name & Signature

super Speciality adv.